न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 132/2021
अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र प्रकाशचन्द जाति अग्रवाल साकिन 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)–

1.1 राजकुमारी पत्नी स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.2 वन्दना लुहारीवाल पुत्री स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.3 पंकज अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.4 करूण अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।

उपस्थित– सतविन्द्र सिंह चहल (प्रतिवादीगण)
राज पैरोकार (वादी)

दिनांकः 20 मई, 2025

–:निर्णयः–

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 वाई के खाता संख्या 107 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नं0 2/2/0.051, 3/0.253, 4/0.253, 5/0.253 हैक्टे0 नहरी, इस प्रकार कुल 0.810 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर उक्त भूमि आवासीय मकान बनाकर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मौका पर आबादी बसी हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी पर अकृषि कार्य बिना स्वीकृति संपरिवर्तन करवाये किया जा रहा है। अतः रकबा राज हित में सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यों अनुसार मौका पर चक 4 वाई के मुरब्बा नं0 15 की किला नं0 2/2/0.051 हैक्टे0, किला नं0 3 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 4 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 5 की 0.253 हैक्टे0 नहरी कुल 0.810 हैक्टे0 नहरी में कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त रकबा बाबत अप्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। उक्त रकबा मौके पर खाली पड़ा हैं और उक्त रकबा में कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि रकबा को संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन गलत है अगर उक्त रकबा पर माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो मिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रकबा संपरिवर्तन करवाने का आवेदन पत्र निरस्त हो जावेगा जिससे मिन अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:19:30 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावें।

स्टेट जरिये तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू–रूपान्तरण करवाये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी , श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.05.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested